

परिशिष्ट-2

जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अपने पुत्र श्री मोहल्ला तहसील जिला जो गत एक वर्ष से इस क्षेत्र में स्थाई निवास कर रहे हैं, गाड़िया लोहारों में से हैं और वर्तमान में लोहारगिरी का व्यवसाय करते हैं।

हस्ताक्षर
पद (मोहर)

नोट : यह प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी / संसद सदस्य / विधायक / तहसीलदार अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षरित कराया जोयगा।

जिला कार्यालय द्वारा गाड़िया लोहारों को स्वीकृत की गई अनुदान राशि की प्राप्ति रसीद का प्रारूप

प्राप्ति रसीद का प्रारूप

कार्यालय, उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण
अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
से कच्चा माल क्रय करने हेतु अनुदान सहायता योजनान्तर्गत रूपये
..... अंके रूपये मात्र डी.डी. नम्बर
दिनांक का प्राप्त किया।

साक्षी :

1.

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

2.

नाम :

पिता/पति का नाम :

पूरा पता :

प्रमाणित कर्ता

जिलाधिकारी

हस्ताक्षर मय सील

गाड़िया लोहारों को स्वीकृत की गई अनुदान राशि के उपयोग पश्चात् कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

उपयोगिता प्रमाण पत्र

1.	आवेदक गाडिया लोहार का नाम व पूरा पता
2.	अनुदान का प्रयोजन	कच्चा माल क्रय करने हेतु अनुदान सहायता
3.	स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी का नाम व पता	कार्यालय, उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
4.	वास्तविक स्वीकृति आदेश क्रमांक व दिनांक
5.	अनुदान स्वीकृत राशि रुपये
6.	उपयोग में ली गई राशि रुपये
7.	वापिस की गई राशि (कारण सहित)

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कच्चा माल क्रय करने हेतु स्वीकृत अनुदान राशि 500 रुपये का पूर्ण उपभोग कर कच्चा माल क्रय कर लिया है तथा कार्यालय, उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उपरोक्त विवरणानुसार स्वीकृत राशि 2500 रुपये के अनुदान का पूर्ण उपयोग कर लिया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित कर्ता

जिला आहरण एवं वितरण अधिकारी मय सील